



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 482 राँची, मंगलवार, 1 श्रावण, 1946 (श०)
23 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

24 जून, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-530/2014 का०-4129--श्री राजीव रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-767/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हरिहरगंज-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नावाबाजार प्रखण्ड के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-30, दिनांक 27.10.2010 द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हुए आरोप प्रतिवेदित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संचालन हेतु श्री रंजन को निर्वाची पदाधिकारी, नावा बाजार बनाया गया था, परन्तु दिनांक 25.10.10 को उन्होंने बिना कोई सूचना के स्वतः पदभार त्याग कर मुख्यालय से अपने सामान सहित फरार हो गये। उनसे दूरभाष पर सम्पर्क कर मुख्यालय लौटने का अनुरोध किया गया, उसके बावजूद वे मुख्यालय लौटने से इंकार कर गये। इनके इस रवैया से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई एवं अंतिम समय में निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अन्य व्यक्ति की अधिसूचना करनी पड़ी, जिनसे प्रशासनिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई एवं इनका यह रवैया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 159 का उल्लंघन है ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-293, दिनांक 22.01.2011 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की माँगी गयी। श्री रंजन के पत्रांक-234, दिनांक 08.01.2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे अंचल अधिकारी हरिहरगंज के पद पर दिनांक 30.11.2007 से पदस्थापित थे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना जापांक-5982, दिनांक 04.10.2010 द्वारा हरिहरगंज में श्री गणेश महतो को एवं हैदरनगर में श्री साधु चरण देवगम को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी के पद पर अधिसूचित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त, पलामू के जापांक-751, दिनांक 11.10.2010 द्वारा इन्हें दोनों पदों का प्रभार देने हेतु आदेश निर्गत किया गया। उक्त के आलोक में वे दिनांक 12.10.2010 को हैदरनगर का प्रभार अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंप दिये।

उपायुक्त, पलामू के आदेश जापांक-581, दिनांक 15.10.2010 द्वारा इन्हें हरिहरगंज प्रखण्ड हेतु मुखिया पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया। तत्पश्चात् जापांक-565, दिनांक 22.10.2010 द्वारा इन्हें नावाबाजार का मुखिया एवं सदस्य के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कार्य हेतु आदेश निर्गत किया गया, परन्तु यह आदेश उन्हें प्राप्त न होने के कारण उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो सकी थी। विभागीय अधिसूचना एवं उपायुक्त, पलामू के आदेश जापांक -751, दिनांक 11.10.2010 के आलोक में इनके द्वारा तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज से प्रभार ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु उनके द्वारा प्रभार न करने के पश्चात् वे दिनांक 25.10.2010 को स्वतः प्रभार सौंपकर कार्मिक विभाग में अपना योगदान दिया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं०- 6608, दिनांक 26.10.2010 द्वारा इन्हें रमना, गढ़वा में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया। फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 29.10.2010 को रमना प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण किया गया।

श्री रंजन द्वारा संमर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2359, दिनांक 06.03.2014 एवं स्मार पत्रांक-4058, दिनांक 06.05.2014, पत्रांक-5616, दिनांक 27.07.2018, पत्रांक- 1007, दिनांक 22.02.2022 पत्रांक-245, दिनांक 16.01.2023 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। परन्तु उपायुक्त पलामू से मंतव्य अप्राप्त रहा।

श्री रंजन के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-30, दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री रंजन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर चार-चार पत्रों के पश्चात् भी उपायुक्त पलामू से मंतव्य अप्राप्त है। साथ ही, विभागीय अधिसूचना जापांक-5982, दिनांक 04.10.2010 द्वारा हरिहरगंज प्रखण्ड में किसी अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन होने के कारण ही उनके द्वारा हरिहरगंज प्रखण्ड का स्वतः प्रभार त्याग किया गया है। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं०-6608, दिनांक 26.10.2010 द्वारा इन्हें रमना प्रखण्ड गढ़वा में पदस्थापित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राजीव रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-767/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हरिहरगंज-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नावाबाजार प्रखण्ड के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-30, दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों से उन्हें मुक्त करते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
